संख्या– 1538 / 79–5–2015–1327 / 2015

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. मण्डलायुक्त
समस्त मण्डल, उ0प्र0।
2. जिलाधिकारी
समस्त जनपद, उ0प्र0।

शिक्षा अनुभाग–5 लखनऊः दिनॉकः 11 जून, 2015

विषयः–**शैक्षिक सत्र 2015–16 को "शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन वर्ष" के रूप में मनाये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रारम्भिक शिक्षा में गुणवत्ता उन्नयन हेतु विगत वर्षों में अनेक प्रयास किये गये हैं, जिसके फलस्वरूप पठन–पाठन का सकारात्मक वातावरण सृजित करने में मदद मिली है किन्तु अभी भी इस दिशा में गंभीर प्रयास करके विद्यार्थियों के सीखने के स्तर को समुन्नत बनाने की आवश्यकता है। अतः शैक्षिक सत्र 2015–16 को **"शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन वर्ष"** के रूप में मनाने का संकल्प लिया गया है।

शैक्षिक सत्र 2015–16 को **"शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन वर्ष"** के रूप में मनाये जाने के संबंध में आपसे निम्नवत कार्यवाही अपेक्षित है :–

1. विद्यालयों और शिक्षकों के परफारमेंस का नियमित आकलन एवं मूल्यांकन किया जायेगा। विद्यार्थियों के पठन–पाठन के स्तर को नियमित रूप से जॉचने के लिए नियमित अंतराल पर आंतरिक परीक्षायें आयोजित की जायेंगी तथा विद्यार्थियों के सम्प्राप्ति स्तर को विद्यालय तथा शिक्षकों के परफारमेंस का संकेतक माना जायेगा। विद्यालयों के परफारमेंस का आकलन करने के लिये विद्यालय श्रेणीकरण की नवीन व्यवस्था लागू की जायेगी। उत्कृष्ट परफारमेंस करने वाले शिक्षकों और विद्यालयों को प्रोत्साहन देने के लिये व्यवस्था की जायेगी।

2. शुरूआती प्राथमिक कक्षाओं में समझ के साथ पढने–लिखने की तथा आंकिकीय दक्षता विकसित करने के लिये विशेष प्रयास किये जायेंगे। इसके लिए भाषा–शिक्षण के अन्तर्गत श्रवण, वाचन, पठन, एवं लेखन तथा गणित शिक्षण के अन्तर्गत विद्यार्थियों में मानसिक गणित के कौशल को विकसित करने पर ध्यान दिया जायेगा तथा विद्यार्थियों के पठन–पाठन के स्तर के अनुरूप बाल–साहित्य की व्यवस्था विद्यालयों में सुनिश्चित की जायेगी। इसी प्रकार उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान, गणित के शिक्षण की विधा में बदलाव लाया जायेगा तथा विद्यार्थियों को करके सीखने के अवसर उपलब्ध कराये जायेंगे। इसके लिये विद्यालय में उपयुक्त सहायक सामग्री की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

3. विद्यार्थियों की पढने–लिखने की क्षमता एवं उसमें प्रगति का लगातार आकलन किया जायेगा। कक्षा में शैक्षिक रूप से पिछडे हुए बच्चों को उपयुक्त स्तर पर लाने के लिये विशेष शिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

4. सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षणों को समयबद्ध रूप से संचालित करने के लिये राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0 द्वारा समेकित कैलेण्डर जारी किया जायेगा तथा जनपद, विकासखण्ड एवं न्याय पंचायतों पर होने वाले प्रशिक्षणों के पर्यवेक्षण व मूल्यांकन की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। विद्यालय के शैक्षणिक नियोजन, प्रशासन एवं प्रबन्धन गतिविधियों के प्रभावी कियान्वयन के लिये समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारियों को गुणवत्ता संवर्धन कार्यक्रमों की जानकारी प्रदान करने के अतिरिक्त प्रबन्धन एवं नेतृत्व क्षमता संवर्द्धन का प्रशिक्षण भी दिया जायेगा।

5. विद्यालय के प्रबन्धन एवं संचालन में विद्यालय प्रबन्ध समिति की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये प्रयास किये जायेंगे। प्रत्येक माह अभिभावक समिति की बैठकें आयोजित की जायेंगी, जिसमें सदस्यों के अलावा अन्य अभिभावकों को भी बुलाकर अवगत कराया जायेगा कि विद्यार्थी कहां एवं किन क्षेत्रों में बेहतर कर रहा है, कहां कठिनाई का अनुभव कर रहा है तथा अभिभावक विद्यार्थी की कहां–कहां और किस तरह मदद कर सकते हैं ? इसमें अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों से भी उपस्थिति बढ़ाने हेतु मदद प्राप्त की जायेगी।

6. विषय एवं दक्षता के आधार पर जनपदवार विद्यार्थियों की उपलब्धि का स्तर तथा कठिनाई वाले क्षेत्रों को जानने के लिये राज्य स्तर पर एचीवमेण्ट सर्वे कराया जायेगा। उक्त सर्वेक्षण के विश्लेषण से प्राप्त फीडबैक का प्रयोग आगामी वर्ष की शिक्षक प्रशिक्षण, शैक्षिक पाठय सामग्री तथा कक्षा–कक्ष की गतिविधियों में सुधार लाने के लिये किया जायेगा।

7. राज्य स्तर, मण्डल स्तर, जनपद एवं विकासखण्ड स्तर के अधिकारियों के माध्यम से विद्यालयों का लगातार सघन निरीक्षण कराया जायेगा तथा निरीक्षण आख्याओं का विश्लेषण तथा उस पर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिये शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0 द्वारा वेब–बेस्ड मॉनीटरिंग सिस्टम भी लागू किया जायेगा। जिन विद्यालयों में विद्यार्थियों एवं शिक्षकों की उपस्थिति तथा विद्यार्थियों के शिक्षण एवं पठन–पाठन का स्तर खराब पाया जायेगा, उन विद्यालयों के अध्यापकों का उत्तरदायित्व निर्धारित करने एवं तदनुसार कार्यवाही करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

8. विद्यालय के गुणवत्ता संबंधी सभी पक्षों का नियमित अन्तराल पर पर्यवेक्षण करने के लिये गुणवत्ता अनुश्रवण प्रपत्रों को लागू किया जायेगा। इसी प्रकार विद्यालय संचालन एवं शैक्षिक प्रशासन के अन्तर्गत पारदर्शिता को बढावा देने के लिये यू–डाइस के आधार पर प्रत्येक विद्यालय का रिपोर्ट कार्ड तैयार कराकर विद्यालय में प्रदर्शित कराया जायेगा।

9. दिनॉक 30 जून, 2015 तक विद्यालय को इस प्रकार क्रियाशील बनाया जायेगा कि उक्त विद्यालय में विद्यार्थियों को सुरक्षित व रूचिपूर्ण पठन–पाठन का वातावरण उपलब्ध हो सके। इस हेतु समस्त आवश्यक अवस्थापना सुविधायें सुदृढ की जायेंगी।

2– अनुरोध है कि प्रदेश की प्रारम्भिक शिक्षा में अपेक्षित सुधार लाने के लिए उक्त निर्देशों को प्रभावी ढंग से अनुपालन कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, राज्य परियोजना कार्यालय, निशातगंज लखनऊ।
2. निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, लखनऊ।
3. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
4. शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0, लखनऊ।
5. निदेशक, साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा, नबीबुल्लाह रोड, लखनऊ।
6. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 इलाहाबाद।
7. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, समस्त जनपद, उ0प्र0।
8. सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), समस्त मण्डल, उ0प्र0।
9. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, समस्त जनपद, उ0प्र0।
10. खण्ड शिक्षा अधिकारी, समस्त जनपद, उ0प्र0 ।

आज्ञा से,

(एच0एल0 गुप्ता)
सचिव।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, समस्त जनपद

कृपया उक्त शासनादेश की प्रति समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

18.6.15
अ० शि० नि० (शि०)
कृते शि० नि० (बे०)